

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SPO मुकाम बडीसादडी
श्री शोना देवी बनाम श्री शंकराम
 किस्म मुकद्दमा 53 R.T.A. Act नं. 26/18 सन्

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
------------	-----------------------------------	--

11/5/18

राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट श्री शोना देवी पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि

ग्राम चंडा देवी की आ. नं. 535, रकबा 0.45
536, 0.41 कित्त 2 रकबा 0.86 का
आपकी राजीनाम द्वारा विभाजन करने हेतु पेश
कित्त मय।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि

मौजा चान्दा देवी की आ. नं. 535, एवं 536,
का आपकी राजीनामे अनुसार मोक पर
का 536 अनुसार तयार कर ~~विभाजन~~ कित्त पालना
शोना देवी 0.43 रकबा 0.17
श्री शंकराम 535 - 0.02 - 0.38
रकबा/ कित्त 336 0.41 7-77

इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

शोना



श्री शंकराम



Web Copy - Not Official